2010:CGHC:8861-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>युगलपीठ: माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं</u>

<u>माननीय न्यायाधीश श्री राधेश्याम शर्मा</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक: 468/2007</u>

बंशी निषाद

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

<u>निर्णय हेतु विचारार्थ</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
राधेश्याम शर्मा
न्यायाधीश

<u>माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा</u>: मैं सहमत हूँ।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

दिनांक 09.09.2012 हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायाधीश श्री राधेश्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक: 468/2007

अपीलार्थी : बंशी निषाद, आत्मज जकाला निषाद, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी अहिवारा, थाना नंदिनी, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से : **श्री नरेश कुमार सिंह**, अधिवक्ता।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से : **श्री अखिल मिश्रा**, उप शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील अंतर्गत धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(सितंबर, 2012 को सुनाया गया)

द्वारा राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश:

(1) यह अपील सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 225/2006 में पारित निर्णय दिनांक 27-02-2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी बंशी निषाद को निम्नलिखित रीति से दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किया गया है, तथा सभी दण्डादेशों को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है :

दोषसिद्धि	दंडादेश
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत	आजीवन कारावास और 500 रुपये का जुर्माना; जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास

भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत	3 महीने का साधारण कारावास

(2) अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

शिकायतकर्ता संतराम बारीक (अ.सा.-1) ग्राम अहिवारा का निवासी था। वह राजहरा कैंप में बेरला रोड के किनारे एक किराना और साइकिल की दुकान चलाता था। उसके पिता कामदेव बारीक (मृतक) रात में दुकान में ही सोया करते थे। घटना की तिथि, अर्थात 07-07-2006 को भी, लगभग रात 9 बजे वह घर लौट आया था और उसके पिता दुकान पर ही मौजूद थे। पास के मोहल्ले के निवासी, सत्यदेव शर्मा (अ.सा.-2), पातीराम (अ.सा.-9) और संतु बंजारा (अ.सा.-3) दौड़ते हुए उसके घर आए और बताया कि अपीलार्थी उसके पिता के साथ डंडे से मारपीट कर रहा है। वह तुरंत अपनी दुकान की ओर भागा। उसने देखा कि अपीलार्थी अपनी दुकान और पंप-हाउस के बीच के स्थान पर उसके पिता के साथ डंडे से मारपीट कर रहा था। उसके पिता वहां गिर पड़े। जब अपीलार्थी के पिता जकला (अ.सा.-10) ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो अपीलार्थी उन्हें देखकर अपने डंडे के साथ वहां से भाग गया। उसके पिता (मृतक) अचेत हो गए थे। जब वह बबलू उर्फ याकूब (अ.सा.-11) और हीरालाल की सहायता से अपने पिता को उपचार के लिए घर ले जा रहा था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। अपीलार्थी ने पुरानी रंजिश के कारण डंडे से उसके पिता की हत्या की थी। उसने थाना नंदिनी में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-2) भी दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी मृतक के घर पहुँचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-3) दिया और मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया। मृतक का शव प्रदर्श पी-27 के माध्यम से परीक्षण हेतु जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया। डॉ. एस.आर. चुरेंद्र (अ.सा.-13) ने मृतक के शव का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-22) दी, जिसमें उन्हें शरीर पर कई खरोंचें , नीलगू और पसलियों में फ्रैक्चर मिला। उन्होंने राय दी कि मृत्यु का प्रकार आघात था; मृत्यु का कारण छाती और फेफड़ों में मौजूद चोटें थीं तथा मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना के अगले चरण में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी-13 के माध्यम से दर्ज किया गया और उसकी निशानदेही पर, उससे एक बाँस (डंडा) प्रदर्श पी-14 के माध्यम से जब्त किया गया। पटवारी आर.डी. सर्वा (अ.सा.-14) द्वारा नजरी नक्शा (प्रदर्श पी-6) तैयार किया गया। विवेचना अधिकारी सहायक उप-निरीक्षक धर्मानंद शुक्ला (अ.सा.-20) द्वारा एक अन्य नजरी नक्शा (प्रदर्श पी-7) तैयार किया गया। घटना स्थल से सादी मिट्टी और रक्त रंजित मिट्टी प्रदर्श पी-15 के माध्यम से जब्त की गई। अपीलार्थी से उसकी जीन्स पैंट और शर्ट प्रदर्श पी-16 के माध्यम से जब्त की गई। आरक्षक क्रमांक 80 मनोज

कुमार से मृतक का गमछा और चड्डी युक्त एक सीलबंद बंडल प्रदर्श पी-28 के माध्यम से जब्त किया गया। जब्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया और एफ.एस.एल. रायपुर ने प्रदर्श पी-34 के माध्यम से उन वस्तुओं की प्राप्ति के सम्बन्ध में अभिस्वीकृति दिया। अपीलार्थी को प्रदर्श पी-35 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया।

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय में अपार्पित कर दिया, जिनके द्वारा विचारण संपन्न किया गया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किया गया।

(3) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश कुमार सिंह ने यह तर्क दिया कि संतराम बारीक (अ.सा.-1) मृतक का पुत्र है और वह एकमात्र एवं हितबद्ध साक्षी है, इसलिए उसके कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। अतः, अपीलार्थी दोषमुक्त होने का पात्र है।

(4) राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा सत्र प्रकरण क्रमांक 225/2006 के अभिलेख का अवलोकन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि संतराम बारीक (अ.सा.-1) के साक्ष्य पर आधारित है।

(6) माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***मानो दत्त एवं अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 4 एस.सी.सी 79*** के मामले में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"26. इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (नामदेव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (2007) 14 एस.सी.सी 150, एस.सी.सी. पृष्ठ 161, कण्डिका 28-29)"

"28. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारतीय विधिक प्रणाली, साक्षियों की बहुलता पर जोर नहीं देती है। न तो विधायिका (साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134) और न ही न्यायपालिका यह अधिदेश देती है कि अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश अभिलिखित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या होनी चाहिए। हमारी विधिक प्रणाली ने हमेशा साक्षियों की मात्रा, बहुलता या बहुसंख्या के बजाय साक्ष्य के मूल्य, महत्व और गुणवत्ता पर बल दिया है। अतः, यह एक सक्षम न्यायालय के लिए खुला है कि वह एकमात्र

साक्षी पर पूर्णतः भरोसा करे और दोषसिद्धि दर्ज करे। इसके विपरीत, यदि न्यायालय साक्ष्य की गुणवत्ता के बारे में संतुष्ट नहीं है, तो वह कई साक्षियों के साक्ष्य के बावजूद अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है। इसलिए, यह निराधार तर्क कि एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के मामले में कोई दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती, कोई बल नहीं रखता है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।"

29. इसके पश्चात यह तर्क दिया गया कि एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी, सोपान (अ.सा.-6), मृतक के पुत्र के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए, वह एक 'अत्यधिक हितबद्ध' साक्षी था और उसके बयान को अमान्य कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य साक्षियों ने महत्वपूर्ण विवरणों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हमारे निर्णय में, एक साक्षी जो मृतक का रिश्तेदार है या अपराध का पीड़ित है, उसे 'हितबद्ध' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। 'हितबद्ध' शब्द यह प्रतिपादित करता है कि साक्षी का अभियुक्त को किसी न किसी तरह दोषसिद्ध कराने में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'स्वार्थ' या 'हित' है, जो कि शत्रुता या किसी अन्य परोक्ष उद्देश्य के कारण हो सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय, ***सतबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 13 एस. सी. सी 790***, का संदर्भ देना उपयोगी होगा, जहाँ इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था: (एस.सी.सी पृ. 799, कण्डिका 26)

"26. अब यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि सिर्फ इसलिए कि साक्षी स्वतंत्र नहीं हैं, अभियोजन पक्ष के मामले को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता। यदि अभियोजन के मामले का साक्षियों द्वारा समर्थन किया गया है और उनके कथनों पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखाया गया है, तो निश्चित रूप से उसके आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय दिया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कम से कम धूम सिंह (अ.सा.-7) एक स्वतंत्र साक्षी है। अभियुक्त के प्रति उसका कोई शत्रुता नहीं था। उसके द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाने का सुझाव तक नहीं दिया गया था, स्थापित करना तो दूर की बात है।"

"7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***अलागुपांडी उर्फ अलागुपांडियन बनाम तमिलनाडु राज्य, 2012 क्रि. एल. जे. 3363 (एस. सी.)*** में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"16. ***गोविंदराजू उर्फ गोविंदा बनाम राज्य, श्रीरामपुरम पी. एस. एवं अन्य [दांडिक अपील क्रमांक 984/2007, निर्णय तिथि 15 मार्च, 2012***]: (ए.आई.आर. 2012 एस.सी.

1292: 2012 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू 1994 में प्रकाशित) के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"11. अब, हम अपीलार्थी की ओर से उठाए गए दूसरे तर्क पर आते हैं कि महत्वपूर्ण साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है और सिर्फ पुलिस साक्षी (चक्षुदर्शी साक्षी) के अभिकथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य विधि का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि साक्षियों की सँख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि साक्ष्य का सार महत्वपूर्ण होता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि बड़ी सँख्या में साक्षियों की परीक्षा की जाए, यदि अभियोजन पक्ष सीमित सँख्या में साक्षियों के माध्यम से भी आरोपी के दोष को प्रमाणित कर सकता है। ***लल्लू मांझी और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2003) 2 एस.सी.सी 401: (ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 854: 2003 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू 308)*** के मामले में, इस न्यायालय ने साक्षियों के मौखिक साक्ष्य को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया था:-

क. पूर्णतः विश्वसनीय;

ख. पूर्णतः अविश्वसनीय ; और

ग. न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. साक्षियों की तीसरी श्रेणी के मामले में, न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या ऐसे साक्षी के बयान की संपुष्टि अन्य साक्षियों द्वारा, या अन्य दस्तावेजी या विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा की गई है। विधि का यह सिद्धांत भी समान रूप से सुस्थापित है कि जहाँ घटना का सिर्फ एक ही साक्षी हो, वहाँ उसके साक्ष्य को सावधानी के साथ और अन्य साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों या अन्यथा अभिलिखित किए गए साक्ष्यों की कसौटी पर परखने के बाद ही स्वीकार किया जाना चाहिए। एक एकल साक्षी का साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय होना चाहिए और अनिवार्य रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए घटनाक्रम की कड़ियों में उपयुक्त होना चाहिए। जब अभियोजन पक्ष सिर्फ एक चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य पर भरोसा करता है, तो ऐसा साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय और भरोसेमंद होना चाहिए। घटना के समय ऐसे साक्षी की उपस्थिति संदेहास्पद नहीं होनी चाहिए। यदि एकमात्र साक्षी का साक्ष्य अन्य साक्षियों के साक्ष्य के साथ विरोधाभासी है, तो ऐसे बयान को आरोपी की दोषसिद्धि का आधार बनाना सुरक्षित नहीं हो सकता है। ये वे कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें न्यायालय ने निरंतर और निश्चितता के साथ प्रतिपादित किया है। इस संबंध में ***जोसेफ बनाम केरल राज्य (2003) 1 एस.सी.सी 465: (ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 507: 2002 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू 4933) और टीका राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007) 15 एस.सी.सी 760*** के मामलों का संदर्भ लिया जा सकता है। यहाँ तक कि ***झपसा कबारी और***

अन्य बनाम बिहार राज्य (2001) 10 एस.सी.सी 94: (ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 312: 2001 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू 5037) के मामले में भी, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि यदि किसी साक्षी की उपस्थिति संदेहास्पद है, तो यह मामला एक एकल साक्षी के साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि का बन जाता है। हालाँकि, एक एकल साक्षी के साक्ष्य पर दोषसिद्धि का आधार बनाने में कोई विधिक वर्जन नहीं है, जब तक कि उक्त साक्षी विश्वसनीय और भरोसेमंद हो।"

xxxxxx xxxxx xxxxx

8. संतराम बारीक (अभियोजन साक्षी-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना दिनांक 7-7-2006 को रात लगभग 9:00-9:30 बजे घटित हुई थी। उस समय वह अपने घर पर था। उसके पिता (मृतक) दुकान पर थे क्योंकि वे (मृतक) रात में दुकान पर ही सोया करते थे। अपीलार्थी का भाई, जिसका नाम पतिराम (अभियोजन साक्षी-9) है, उसके घर आया और उससे तुरंत अपनी दुकान पर पहुँचने को कहा क्योंकि अपीलार्थी मृतक के साथ झगड़ा और मारपीट कर रहा था। वह तत्काल अपनी साइकिल से दुकान की ओर भागा। उसने देखा कि अपीलार्थी डंडे से मृतक के साथ मारपीट कर रहा था। अपीलार्थी ने मृतक के सिर, पीठ, नाक और पैर पर डंडे से प्रहार किए थे। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तो उसे देखकर अपीलार्थी अपना डंडा लेकर वहाँ से भाग गया। अपीलार्थी द्वारा किए गए हमले के कारण मृतक नीचे गिर गया था। वह, हीरालाल और बबलू उर्फ याकूब (अभियोजन साक्षी-11) मृतक को ले गए थे। हीरालाल और बबलू उर्फ याकूब (अभियोजन साक्षी-11) उसके पीछे-पीछे आए थे। मृतक को घर ले जाने के बाद, उसने एक डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर उसके घर आए और उन्होंने मृतक को मृत घोषित कर दिया। उसके पश्चात, उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। उसने पुलिस थाना नंदनी में मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-2) भी दर्ज कराई। घटनास्थल उसकी दुकान और पंप-हाउस के बीच था। प्रतिपरीक्षा में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि यह कहना गलत है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमलावर कौन था, इसलिए उसने देरी से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। यह कहना भी गलत है कि उसकी दुकान के आसपास के क्षेत्र में अंधेरा था। उसकी दुकान के पास बिजली की आपूर्ति चालू थी। उसकी दुकान से 25-30 फीट की दूरी पर बिजली का एक खंभा स्थित था जिस पर रोशनी चालू थी। उसकी दुकान के सामने मुख्य बेरला रोड स्थित थी जो 20 फीट दूर थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह सीधे रास्ते से अपनी दुकान पहुँचा था। उसने 15-20 फीट की दूरी से अपीलार्थी को मृतक के साथ मारपीट करते हुए देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. लोकनाथ साहू (अभियोजन साक्षी-18) ने अभिसाक्ष्य दिया कि रात लगभग 9:30 बजे, वह अहिवारा बाजार से होकर अपने काम से वापस लौट रहा था। उसने देखा कि अपीलार्थी मृतक के

साथ मारपीट कर रहा था। अपीलार्थी ने डंडे से मृतक पर हमला किया था। उसे सुबह पता चला कि मृतक की मृत्यु हो गई थी।

10. संतराम बारीक (अभियोजन साक्षी-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने पुलिस थाना नंदनी में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-2) दर्ज कराई थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक के शव को परीक्षण के लिए जिला अस्पताल, दुर्ग भेजा गया था। डॉ. एस.आर. चुरेंद्र (अभियोजन साक्षी-13) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतक के शव का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-22) दी, जिसमें उन्होंने शरीर पर कई खरोंचें, नीलगू और पसलियों में फ्रैक्चर पाया। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि मृत्यु का प्रकार 'सदमा' था; मृत्यु का कारण छाती और फेफड़ों में मौजूद चोटें थीं और मृत्यु की प्रकृति 'मानव वध' थी।

11. घटना की तिथि और समय 07-07-2006 को लगभग 21 बजे था और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) उसी दिन लगभग 23 बजे दर्ज कराई गई थी। पुलिस थाना नंदनी और घटनास्थल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) घटना के 2 घंटे के भीतर दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी ने डंडे से मृतक के साथ मारपीट की और मृतक नीचे गिर गया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) तत्परता से दर्ज कराई गई थी और इसमें हमलावर के रूप में अपीलार्थी का नाम अंकित है। इसलिए, हम पाते हैं कि संतराम बारीक (अभियोजन साक्षी-1) का साक्ष्य प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1), लोकनाथ साहू (अभियोजन साक्षी-18) के साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अपीलार्थी को जकाला (अभियोजन साक्षी-10) से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत भी दोषी ठहराया गया और दंडित किया गया है। जकाला (अ.सा.-10) ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी बाहर से आया और उसके साथ मारपीट किया। उसकी पत्नी और पोती मंजू, जो वहाँ मौजूद थीं, इस घटना की साक्षी थीं।

13. पतिराम (अभियोजन साक्षी-9) ने साक्ष्य दिया कि उसके पिता जकाला (अ.सा.-10) और अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था और उसने जकाला (अ.सा.-10) के गाल पर चोट देखी थी। उस समय उसकी माँ और मंजू भी वहाँ मौजूद थीं। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह अपने पिता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले गया था।

14. डॉ. रघुनंदन बिसोई (अभियोजन साक्षी-8) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने जकाला (अ.सा.-10) का परीक्षण किया था और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-17) दी थी, जिसमें उन्होंने जकाला (अ.सा.-10) के शरीर पर कई नीलगू और फटे हुए घाव पाए थे।

15. हमने संतराम बारीक (अ.सा.-1) के साक्ष्य का अत्यंत सावधानी के साथ अवलोकन किया है। उसका साक्ष्य निर्णायक, ठोस और विश्वसनीय है तथा तत्परता से दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) और चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा इसकी संपुष्टि होती है। डॉक्टर ने राय दी है कि मृत्यु का प्रकार 'सदमा' था; मृत्यु का कारण छाती और फेफड़ों में मौजूद चोटें थीं और मृत्यु की प्रकृति 'मानव वध' थी।

16. जकाला (अ.सा.-10), पतिराम (अ.सा.-9) और डॉ. रघुनंदन बिसोई (अ.सा.-8) के साक्ष्यों को देखते हुए, यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी ने जकाला (अ.सा.-10) के साथ मारपीट की थी।

17. पूर्वोक्त कारणों से, हमें विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किए गए इस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिली है कि वह कोई और नहीं बल्कि अपीलार्थी ही था जिसने डंडे से मृतक को चोटें पहुँचाई थीं; उसने जकाला (अ.सा.-10) को भी चोटें पहुँचाई थीं और उसके द्वारा पहुंचाई गई चोटों के कारण ही मृतक की मृत्यु हो हुई थी।

18. परिणामस्वरूप, अपील सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायाधीश

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate